निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–92/2013
दायरा दिनांक :–26.06.2013
निर्णय दिनांक :– 20.2.23

उनवान

रामगोपाल पुत्र नन्दलाल जाति ब्राह्मण निवासी लुहारिया, तहसील बारां जिला बारां राज0
–**वादीगण**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां राज0
2. माफी मंदिर श्री राधाकृष्ण जी बिराजमान लुहारिया तहसील बारां शाशवत नाबालिग जरिये वली सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, कोटा जिला कोटा, राज0 –**प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 एवं 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 20.2.23

अभिभाषक उपस्थित :–1. श्री बी0 एल0 जैन एड0– वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 एवं 188 आर0 टी0 एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम लुहारिया तहसील बारां में हाल खसरा नं0 204 रकबा 0.26 हे0 भूमि स्थित है। जिसे प्रस्तुत वाद में आगे विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है। विवादित भूमि वर्तमान जमाबन्दी में मंदिर श्री राधाकृष्ण जी बिराजमान लुहारिया के नाम बतोर खातेदार कृषक दर्ज है। वादग्रस्त भूमि का साबिक खसरा नं0 241 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा था तथा सम्वत् 2030–23 की जमाबन्दी में इस भूमि पर नन्दलाल पुत्र गोरीलाल ब्राह्मण का कब्जा था, उस समय सम्वत् 2030 से 33 की जमाबन्दी में खेवट खतौनी सम्वत् नयी 35 पुरानी 46 में 3 किता 12 बीघा जमीन थी जिसे खसरा नं0 11 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं0 207 रकबा 7 बिस्वा व खसरा नं0 241 रकबा 2 बीघा 1 बीस्वा कुल 3 किता रकबा 12 बीघा थी, जो उस समय माफी मंदिर राधाकृष्ण जी बिराजमानबकब्जा नन्दलाल वल्द गोरीलाल ब्राह्मण के नाम थी। इससे पूर्व भी यह जमीन इसी प्र[illegible]था सम्वत् 2026 से 30 की जमाबन्दी में भी इसी प्रकार अंकन था। माफी [illegible] नन्दलाल वल्द गोरीलाल ब्राह्मण के नाम बतोर खातेदार कृषक दर्ज हो गयी तथा इन्तकाल नं0 41 दिनांक 14.05.64 से कॉलम

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:46:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नं0 11 में नन्दलाल पुत्र गोपीलाल का नाम बतोर खातेदार कृषक दर्ज हुआ जो राज0टी0ए0 की धारा 15 के तहत दर्ज हुआ। इससे पूर्व भी इन्तकाल नं0 37 दिनांक 20.11.62 से धारा 15 टी0ए0 के तहत यह नन्दलाल वल्द गोरीलाल के नाम खातेदारी में दर्ज हो गयी थी क्योंकि 01.07.58 को माफी रिज्यूम हुयी एवं खातेदार नन्दलाल घोषित हुआ। नन्दलाल वादी का पिता था। वादी, नन्दलाल का एकमात्र पुत्र है तथा सम्वत् 2018 से 21 व सम्वत् 2022 से 25 की जमाबन्दी के कॉलम नं0 4 में नन्दलाल वल्द गोरीलाल ब्राहमण का नाम बतोर खातेदार कृषक दर्ज हो गया था।

नन्दलाल के जीवन काल में नन्दलाल इस भूमि पर काबिज रहा व वादी उसका एकमात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी होने के कारण नन्दलाल के फोत होने पर काबिज काश्त हो गया। इन भूमियों के अलावा ग्राम लुहारिया में राधाकृष्ण जी मंदिर के नाम और भी भूमियां थी। जो भ्ज्ञी नन्दलाल वल्द गोरीलाल के नाम चली आ रही थी, जिसमें खसरा नं0 16 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा भूमि नन्दलाल वल्द गोरीलाल ब्राहमण द्वारा दिनांक 13.09.74 को राधाकृष्ण जी महाराज के नाम बेचानकी गयी जो इन्तकाल नं0 68 दिनांक 13.09.74 से राधाकृष्ण जी महाराज के नाम दर्ज हुयी। वादी नन्दलाल जी का एकमात्र पुत्र एवं वारिस है। नन्दलाल जी के फोत होने के उपरान्त वादी उक्त आराजी को काश्त करता चला आ रहा है। किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने वक्त भू प्रबन्धन कार्य उक्त भूमि बिना किसी अधिकार के प्रति0 कम 2 के नाम दर्ज कर दी है। जिसका उनको कोई अधिकार हासिल नहीं था। जबकि यह भूमि निरन्तर वादी के कब्जे में चली आ रही है। तथा इस भूमि से लगवा वादी की अन्य भूमिया है। जिसमें यह भूमियां मिली हुयी है। बीच में कोई मेड़ नहीं है। प्रतिवादी कम 2 शाशवत नाबालिग है। जिसकी व्यवस्था देवस्थान विभाग द्वारा की जाती है। सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा के हित प्रति0 कम 2 के विरूद्ध नहीं है। इस कारण आदेश 32 सी0पी0सी0 का प्रा0 पत्र इ आशय का पेश कर दिया है कि प्रति0 कम 2 का वली सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग को बनाया जावे। प्रतिवादीगण, वादग्रस्त भूमियों पर वादी के कब्जे में जबरन मदाखलत करना चाहते है। जिसका उनको कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। दिनांक 04.06.2013 को प्रतिवादीगण जबरन वादग्रस्त भूमियों पर काश्त करने आ गये बामुश्किल वादी के समझाने से वापस गये, किन्तु एलानिया धमकी दी कि इस भूमि पर जबरन कब्जा करके रहेंगे। इस कारण वादी, खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण को नोटिस कानूनी 06.06.13 को दे दिया है। क्योंकि इस प्रकरण में राज्य सरकार आव[illegible]कार है। नोटिस मियाद समाप्त होने तक इन्तजार करना संभव नहीं है। धारा 80(2) [illegible] का प्रा0 पत्र पेश कर वाद पेश करने की अनुमति ले ली गयी है। वाद [illegible] 06.2013 को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमियों पर जबरन कब्जा करने की धमकी देने [illegible] दिनांक 06.06.13 को नोटिस देने के फलस्वरूप ग्राम लुहारिया तहसील बारां पैदा हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:46:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश नहीं होने पर जवाब बन्द किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम लुहारिया सम्वत् 2038–57, नकल जमाबन्दी ग्राम लुहारिया सम्वत् 2012–25,नकल जमाबन्दी ग्राम लुहारिया सम्वत् 2018–21,नकल जमाबन्दी ग्राम लुहारिया सम्वत् 2027–30,नकल जमाबन्दी ग्राम लुहारिया सम्वत् 2030–33,नकल जमाबन्दी ग्राम लुहारिया सम्वत् 2034–37,नकल जमाबन्दी ग्राम लुहारिया सम्वत् 2066–69, खाता सं0 78, नकल नामान्तरकरण सं0 41 ग्राम लुहारिया, नकल नमान्तरकरण सं0 37 ग्राम लुहारिया, पेश किया गया। साक्ष्य वादी में रामगोपाल के बयान कराये।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है। कि विवादित आराजी वाके ग्राम लुहारिया तहसील बारां में स्थित है। जो वर्तमान में मंदिर श्री राधाकृष्ण जी बिराजमान लुहारिया के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। सम्वत् 2030–33 तक माफि मंदिर राधाकृष्ण बिराजमान के खाते दर्ज थी परन्तु कब्जा नन्दलाल वल्द गोरीलाल कब्जा था माफी रिज्यूम होने से यह भूमि नन्दलाल वल्द गोरीलाल ब्राह्मण के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज हो गयी तथा नामा0 नं0 41 दिनांक 14.05.1964के कालम नं. 11 में नन्दलाल पुत्र गोरीलाल का नाम बतौर खातेदार दर्ज हुआ जो राज0टी0एक्ट की धारा 15 के तहत दर्ज हुआ पूर्व में भी नामा0 नं0 37 दिनांक 20.11.62 से धारा 15 टेनेन्सी एक्ट के तहत यह भूमि नन्दलाल पुत्र गोरीलाल के नाम खातेदारी में दर्ज हो गयी थी। क्योंकि दिनांक 01.07.58 को माफी रिज्यूम हुई एवं खातेदार नन्दलाल घोषित हुआ। नन्दलाल पुत्र गोरीलाल के कब्जे काश्त चली आ रही थी। उनके मरने के बाद उनके वारिसान के कब्जे काश्त चली आ रही है। विवादित भूमि के लगवा वादी की अन्य भूमियां है। उनके मध्य कोई मेड़ अंकित नहीं है। नन्दलाल पुत्र गोरीलाल द्वारा खसरा नं0 16 रकबा 12.11 बीघा भूमि दिनांक 13.09.74 को राधाकृष्ण जी महाराज के नाम बेचान कर दी गई। वादी खसरा नं0 284 रकबा 0.26 हे0 भूमि पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त खसरा नं0 की भूमि प्रतिवादी कम 2 माफी मंदिर श्री राधाकृष्ण के नाम दर्ज कर दी गई जो गलत है। वादी को उक्त भूमि पर खातेदार कृषक घाोषित किया जावे।

बहस अभिभाषक सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्[illegible]लुहारिया तहसील बारां सम्वत् 2012–15, में नन्दलाल पुत्र गोरीलाल ब्राह्[illegible] दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम लुहारिया तहसील बारां सम्वत् 2018–21, खाता सं0 35 [illegible]36 में माफि मन्दिर राधाकृष्ण जी महाराज विराजमान सा0 देह के खातेदारी में दर्ज है। [illegible]ल जमाबन्दी ग्राम लुहारिया तहसील बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:46:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सम्वत् 2026–30, सम्वत् 2030–33,सम्वत् 2034–37,सम्वत् 2066–69 में माफी मंदिर राधाकृष्ण जी के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। इससे यह साबित होता है, कि विवादित आराजी प्रतिवादी कम 2 माफी मंदिर राधाकृष्ण जी के खातेदारी मे चली आ रही है। नकल नामा0 सं0 41 के अनुसार नामा0 सं0 कॉलम सं0 14 में परिवर्तन आर0टी0एक्ट की धारा 15 के तहत दिनांक 14.05.64 अंकित है। नकल नामा0 सं0 37 ग्राम लुहारिया की कुल भूमि 12.11 बीघा नामा. सं0 37 के कालम सं0 14 में नन्दलाल पुत्र गोरीलाल को खातेदारी हक प्राप्ती अंकित है। इससे यह साबित होता है कि विवादित भूमि मंदिर श्री राधाकृष्ण जी महाराज के खातेदारी में थी परन्तु नन्दलाल पुत्र गोरीलाल ब्राह्मण के खातेदारी में दर्ज कर दी गई। वाद में सम्पूर्ण भूमि मंदिर श्री राधाकृष्ण जी खातेदारी में दर्ज कर दी गई। वादी द्वारा खसरा नं0 284 रकबा 0.26 हे0 भूमि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गलती से मंदिर के खाते दर्ज होना बताया है। जबकि सम्पूर्ण भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व नन्दलाल पुत्र गोरीलाल के खातेदारी में दर्ज कर दी थी। वाद में मंदिर श्री राधाकृष्ण के खाते दर्ज की गई जो आज दिनांक तक मंदिर श्री राधाकृष्ण जी के खातेदारी में चली आ रही है। वादी द्वारा भूमि 12.11 बीघा मंदिर को बेचान करना बताया है। खसरा नं0 284 वर्तमान नं0 है। तथा साबिक खसरा नं0 241 था जो माफी मंदिर श्री राधाकृष्ण जी के नाम दर्ज है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में दिनांक 13.09.74 को मंदिर श्री राधाकृष्ण जी को कुल 12.11 बीघा भूमि बेचान करना बताया है। जिसका नामा0 सं0 68 दिनांक 13.09.74 दर्ज होना बताया है। जब वादी के पिता नन्दलाल पुत्र गोरीलाल द्वारा सम्पूर्ण भूमि का बेचान कर दिया तो खसरा नं0 284 पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वेसे भी यह भूमि मंदिर श्री राधाकृष्ण जी के खातेदारी की थी और वर्तमान में भी चली आ रही है। अतः वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद सारहीन एवं तथ्यहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:46:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 92/2013	अन्तर्गत 88,89,90,91,92,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 20.2.23
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री बाबूलाल जैन	अभिभाषक प्रतिवादीः–	

वाद शीर्षक

उनवान

रामगोपाल पुत्र नन्दलाल जाति ब्राह्मण निवासी लुहारिया, तहसील बारां जिला बारां राज0

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां राज0
2. माफी मंदिर श्री राधाकृष्ण जी बिराजमान लुहारिया तहसील बारां शाशवत नाबालिग जरिये वली सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, कोटा जिला कोटा, राज0 –प्रतिवादीग

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद सारहीन एवं तथ्यहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 20.2.23 .को निर्गत किया गया।

उपखण्डअधिकारी,
बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:46:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner